



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या-108/2024

U/S 46(1-b) of CNT Act

मंगरा मांझी

बनाम्

देवसागर भुईयां

—: आदेश :—

आवेदक मंगरा मांझी, पिता-स्व० कैल मांझी उर्फ जोजा दुसाध, ग्राम-चितरपुर, पो०-भैसादोन, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के तहत क्रेता देवसागर भुईयां पिता-जलसु भुईयां, ग्राम-भैसादोन, हेमपुर, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार के साथ उचित बाजार मूल्य पर क्रय-विक्रय के लिए आपसी सहमति व्यक्त करते हुए मौजा-चितरपुर अंचल-बालूमाथ के खाता-33 प्लॉट संख्या-447 रकबा-0.32 $\frac{1}{2}$ ए० एवं प्लॉट संख्या-440, रकबा-0.09 ए० कुल रकबा-0.41 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि की बिक्री की अनुमति प्रदान के लिए दाखिल आवेदन पर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। आवेदक के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बालूमाथ से भूमि का जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा पत्रांक-1447 दिनांक 12.12.2024 से भूमि का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें वर्णित किया गया है कि आवेदक द्वारा मौजा-चितरपुर के खाता-33 प्लॉट संख्या-447 रकबा-0.32 $\frac{1}{2}$ ए०, प्लॉट संख्या-440, रकबा-0.09 ए०, कुल रकबा- 0.41 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि की बिक्री के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। मांग पंजी०-॥ में आवेदक के नाम पर खाता-33 प्लॉट संख्या-447 रकबा-0.32 $\frac{1}{2}$ ए०, प्लॉट संख्या-440, रकबा-0.01 $\frac{1}{2}$ ए० भूमि का जमाबंदी चलता है। आवेदक द्वारा मांग पंजी-॥ में कायम जमाबंदी से अधिक भूमि

५.०१/०१

की बिक्री के लिए अनुमति का आवेदन दाखिल किया गया है, जिसके कारण आवेदक को भूमि बिक्री की अनुमति नहीं दिया जा सकता है।

अतः अंचल अधिकारी, बालूमाथ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक मंगरा मांझी, पिता-स्व० कैल मांझी उर्फ जोजा दुसाध, ग्राम-चितरपुर, पो०-भैसादोन, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार द्वारा देवसागर भुईयां पिता-जलसु भुईयां, ग्राम-भैसादोन, हेमपुर, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार के साथ मौजा-चितरपुर के खाता-33 प्लॉट संख्या-447 रकबा-0.32 $\frac{1}{2}$ ए० एवं प्लॉट संख्या-440, रकबा-0.09 ए० कुल रकबा- 0.41 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री के लिए दाखिल अनुमति आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे तथा अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

५-६/०१

उपायुक्त, लातेहार।

५-६/०१

उपायुक्त, लातेहार।